तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशीयल्स जज	नं॰ व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर

अपील संख्या– 64 / 2020 अंतर्गत धारा–75 एल.आर.एक्ट

(GCMS No. 2015/00153)

अनवान:

1. जगदीश प्रसाद पुत्र बिरमा देवी जाति बिश्नोई निवासी 9 एम. के. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगागनर।

बनाम

1. राजस्थान सरकार।
2. ओमप्रकाश पुत्र स्व. श्री नत्थूराम जाति बिश्नोई निवासी चक 35 एम.एल. तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर वगैरह।

14.08.2024

पत्रावली प्रस्तुत हुई। यह पत्रावली राजस्थान सरकार के राजस्व (ग्रुप–6) विभाग की अधिसूचना नंबर 1(17)राजस्व / 2019 / 112 दिनांक 17.10.19 के द्वारा क्षेत्राधिकार परिवर्तन होने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीगंगानगर से अग्रिम सुनवाई हेतु इस न्यायालय को हस्तांतरित हुई है। अभिभाषक अपीलांट एवं अपीलांट के अनुपस्थित रहने के कारण अपीलांट को इस न्यायालय द्वारा आगामी पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी करने के आदेश दिये। अपीलांट को दिनांक 03.05.2024 को नोटिस जारी कर आगामी तारीख पेशी से पूर्व स्वयं अथवा जरिये विधिक प्रतिनिधि इस न्यायालय में उपस्थित होने हेतु सूचित किया गया, किन्तु नोटिस दिनांक 03.05.2024 जारी हो जाने के बावजूद आज दिनांक तक कोई उपस्थित नहीं हुआ। अभिभाषक अपीलान्ट को रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 7 के निमित सम्मन प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 27.04.2022 से लगातार पाबन्द किया जाता रहा है, किन्तु अभिभाषक अपीलान्ट को बार–बार पाबन्द किये जाने के बावजूद आदिनांक सम्मन प्रस्तुत नही किये हैं। अपीलान्ट द्वारा जरिये अभिभाषक न्याय की वांछा लेकर इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी, लेकिन अभिभाषक अपीलांट को लगातार पाबन्द करने के बावजूद भी आदिनांक तक सम्मन प्रस्तुत नहीं किये है। न्याय चाहने की तत्परता व कोशिश का अभाव अपील चलाने में अरुचि जाहिर करती है। अतः उक्त अपील अपीलान्ट राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 63(1)(2) के तहत अदम हाजरी, अदम पैरवी एवं अदम तकमील में खारिज की जाती है। आदेश की प्रति अपील पत्रावली में शामिल होकर एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड मय आदेश की प्रमाणित प्रति प्रेषित होकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावे। आदेश आज दिनांक 14.08.2024 को सुनाया गया।

14/8/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त,
बीकानेर

E. Nirnay 2020